

Masuda

FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

बाजदायरी
स्वीकार
18.10.19

APP-A
Crim-1

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

प्रभु कुल देमा वानि बनाम राज. सरकार परिये तलमी 0413
गुजरात विधानसभा

किस्म मुकदमा नम्बर सन् 20 19
वा. प्र. जा. को. प्र. रि. 442 396/2019

2019/00396

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व त अहकाम उ हुकम की त जारी हुए
पेशी	श्री राकेश अरोड़ा व श्री	
18.10.19	<p>यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र श्री राकेश अरोड़ा एडवोकेट ने न्यायालय हाजा द्वारा अपील को दिनांक 30.09.2019 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किये जाने के विरुद्ध अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 जा.दी. के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाजदायरी दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>बाजदायरी प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित में बाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर करना उचित समझते है।</p> <p>अतः बाजदायरी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 जा.दी को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।</p>	